



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12012026-269290
CG-CG-E-12012026-269290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947

No. 146]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 23 दिसम्बर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ई) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 156(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4630(अ). तारीख 09/10/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “बिलासपुर डिवीजन – किमी 610/19-21 आरओबी यार्ड पर एल.सी. संख्या 305 के स्थान पर आर.यु.बी का निर्माण (बॉक्स पुशिंग विधि)” के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 4630(अ). तारीख 09/10/2025 का “नवीन कदम” (रायगढ़), (हिंदी) और “सेन्ट्रल क्रॉनिकल” (रायपुर), (इंग्लिश) संस्करण में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ई) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ई) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना “बिलासपुर डिवीजन – किमी 610/19-21 आरओबी यार्ड पर एल.सी. संख्या 305 के स्थान पर आर.यु.बी का निर्माण (बॉक्स पुशिंग विधि)” के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – बड़ेडुमरपाली, प.ह.न. 27 तहसील – खरसिया, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	464/1/क	निजी	पड़त	0.077	हीराराम पिता बाउ बाबूलाल पिता बाउ रामायण पिता बाउ निराबाई पिता बाउ ननकी पिता घासीराम जाति कंवर सा बड़ेजामपाली भूमिस्वामी
2	464/1/ख	निजी	पड़त	0.009	खेमराम पिता बोधराम हीरालाल पिता बोधराम गेंदलाल पिता बोधराम गनेशीबाई बेवा बोधराम जाति पटेल सा चपले भूमिस्वामी
3	464/2/ड	निजी	पड़त	0.038	मदन पिता गोपीराम अग्रवाल जाति अग्रवाल सा गंज पीछे खरसिया भूमिस्वामी
कुल भूमि (बड़ेडुमरपाली) = 0.124 हे.					

ग्राम – चपले, प.ह.न. 33 तहसील – खरसिया, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	128/2	निजी	कृषि	0.065	टीकम प्रसाद पिता मनीराम, दीपचंद पि. मनीराम, हेमलाल पि. मनीराम, फूलबाई पि. मनीराम, हेमबाई पि. मनीराम, वृन्दावती बेवा मनीराम, जाति - पटेल
2	128/3	निजी	कृषि	0.05	सनत कुमार पि. सेतराम, मुनुदाई बेवा सेतराम जाति - कुर्मी
3	127/1/ख/3	निजी	कृषि	0.023	लखनलाल पिता कीर्तिराम जाति- पटेल
कुल भूमि (चपले) = 0.138 हे.					

[फा. सं. डीवाई. सीई./जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी/आर यु बी/एल सी संख्या 305/भूमि अधिग्रहण/20E-A)]

संजय बा. नागभिड़कर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 23 December, 2025

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 156(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) S.O. number 4630(E), dated 09/10/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **“Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. 305 at Km. 610/19-21 ROB Yard. (Box pushing method).”** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 4630(E), dated 09/10/2025, was published in the daily newspapers, "Navin Kadam" (Raigarh), (Hindi) & "Central Chronicle" (Raipur), (English) on 01st November, 2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. 305 at Km. 610/19-21 ROB Yard. (Box pushing method).” Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Badedumarpali, P.H.No.- 27 Tehsil – Kharsia, District – Raigarh (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	464/1/क	Private	Padat	0.077	Hiraram father Bau Babulal father Bau Ramayan father Bau Nirabai father Bau Nanki father Ghasiram caste Kanwar Sa Badejampali landowner
2	464/1/ख	Private	Padat	0.009	Khemram father Bodhram Hiralal father Bodhram Gendlal father Bodhram Ganeshibai widow Bodhram caste Patail sa chaple landowner
3	464/2/ड	Private	Padat	0.038	Madan Father Gopiram Agarwal Caste Agarwal Sa Ganj Behind Kharsia landowner
Total land (Badedumarpali) – 0.124 Hectare					

2. Village Name – Chaple, P.H.No.- 33 Tehsil – Kharsia, District – Raigarh (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	128/2	Private	Agriculture	0.065	Tikam Prasad, father Maniram, Deepchand, father Maniram, Hemlal, father Maniram, Phoolbai, father Maniram, Hembai, father Maniram, Vrindavati widow of Maniram, caste - Patail
2	128/3	Private	Agriculture	0.05	Sanat Kumar father Setram, Munudai Widow of Setram, Caste - Kurmi
3	127/1/ख/3	Private	Agriculture	0.023	Lakhanlal father Kirtiram, caste- Patail
Total land (Chaple) – 0.138/ Hectare					

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/ROB/RUB/LC No.-\305/land acquisition/20E-A]
SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP